छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 18/05/2020

क्रमांक एफ 23–08/2020/20–तीन :: राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के उत्कृष्ठ 40 हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के शालाओं का संचालन पजीकृत सोसायटी के माध्यम से करने हेतु आदेशित करता है।

1. हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम की उत्कृष्ठ शालाओं के संचालन के लिए प्रत्येक शाला हेतु केलक्टर की अध्यक्षता में सोसायटी का गठन किया जायेगा, जिसकी विस्तृत नियमावली स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी की जायेगी। सोसायटी को संस्था के संचालन हेतु प्रबंधन का सम्पूर्ण अधिकार होगा।
2. विद्यालय के संचालन हेतु पंजीकृत सोसायटी को राज्य शासन द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा एवं सोसायटी अन्य स्त्रोतों से भी धन जुटा सकेगी।
3. विद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक पद शासन की अनुमति से समिति द्वारा निर्मित किए जा सकेंगे।
4. प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति का होगा एवं उक्त पद पर प्रतिनियुक्ति स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दी जायेगी।
5. विद्यालय में अन्य पदों पर कर्मचारी प्रतिनियुक्ति से या पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्मित के तहत् रखे जा सकेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

18/5

(ए.आर.खान)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्र. एफ 23–08/2020/20–तीन **नवा रायपुर दिनांक 18/05/2020**

प्रतिलिपि :–

1. **अपर मुख्य सचिव,** माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।

निरंतर......